झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या-14

पंचम् (बजट) सत्र
शुक्रवार, दिनांक-19 मार्च, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 06.09 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने दिनांक-18.03.2021 को हुए क्रिकेट मैच में विपक्ष के माननीय सदस्यों की हुई जीत की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री दुलू महतो ने राँची स्थित झारखण्ड जगुआर कैम्प के बगल में ही कचरा डम्प कर जलाने से जवानों को हो रही परेशानियों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कचरा अन्यत्र डम्प करने हेतु अनुरोध किया,

iii-माननीय सदस्य, श्री सरयू राय ने आज की कार्यसूची में उनके स्थगित प्रश्न के सूचीबद्ध नहीं होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iv-माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो सदन के बाहर भूखे धरने पर हैं, अतएव उन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय तत्पश्चात् आसन द्वारा माननीय मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन एवं माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण को उन्हें सदन में लाये जाने हेतु निदेश दिया गया।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-16

(क) उत्तरित कुल-05, अ० सू०-248, श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०,
अ० सू०-249, श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स०,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो को ससम्मान सदन में लाया गया।)

अ० सू०-250, श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०,
अ० सू०-251, श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स०,
अ० सू०-252, श्री बंधु तिर्की, स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-11, अ० सू०-253 से अ० सू०-263 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-68

(क) उत्तरित कुल-07, तारां०-641, श्री चमरा लिण्डा, स०वि०स०,

तारां०-642, श्री दुलू महतो, स०वि०स०,
तारां०-645, श्री भानू प्रताप शाही, स०वि०स०,
तारां०-647, श्री नारायण दास, स०वि०स०,
तारां०-648, श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स०,
तारां०-649, श्री केदार हजरा, स०वि०स०,
तारां०-650, श्री राज सिन्हा, स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ कुल-03, तारां०-643, डॉ० नीरा यादव, स०वि०स०,
तारां०-644, श्रीमती ममता देवी, स०वि०स०,
तारां०-646, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-58, तारां०-651 से लेकर तारां०-708 तक।

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

आज के लिए स्वीकृत निम्नांकित शून्यकाल की सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री कोचे मुण्डा,
श्री दशरथ गागराई,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री नारायण दास,
श्री दीपक बिरुवा,
श्री अमर कुमार बाउरी,
श्री बंधु तिर्की,
श्री राज सिन्हा,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री राजेश कच्छप,
श्री भूषण तिर्की,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री दुलू महतो,
श्री केदार हजरा,
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,
श्री भूषण बाड़ा,
श्री इरफान अंसारी।

क्र० ह० 30 —

4.सूचनाओं का दिया जानाः-

i- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने मास्क नहीं पहननेवालों से प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूली सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि जो-जो माननीय सदस्य सदन में बिना मास्क के हैं, उनसे भी जुर्माना लिया जाना चाहिए। इसपर आसन द्वारा निदेश दिया गया कि कोरोना काल में सबों को मास्क पहनना चाहिए,

ii- माननीय मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने आसन से अनुरोध किया कि सी.सी.टी.वी. कैमरे से पता लगाया जाय कि बजट सत्र के प्रारम्भ से लेकर अब तक कौन-कौन माननीय सदस्य मास्क पहने हैं अथवा नहीं और तदनुसार जुर्माना लिया जाय,

iii- माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने झारखण्ड राज्य में प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाकर राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति ससमय प्रोन्नति दी जाय,

iv- माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने हजारीबाग सदर प्रखण्ड के बहोरनपुर में खुदाई के दौरान मिली बुद्धकालीन मूर्तियों के संरक्षण हेतु म्युजियम बनाये जाने हेतु अनुरोध किया,

v- माननीय सदस्या, श्रीमती ममता देवी ने रामगढ़ जिलान्तर्गत विभिन्न जर्जर सड़कों की अविलम्ब मरम्मति कराये जाने हेतु अनुरोध किया,

vi- माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि हजारीबाग सदर प्रखण्ड के बहोरनपुर में खुदाई का कार्य बिहार के पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने शंका जाहिर की कि सभी मूर्तियाँ बिहार ले जायी जा सकती है, अतएव इन्हें झारखण्ड में ही रखने की व्यवस्था की जाय जिसपर माननीय मंत्री, श्री बादल ने इसे संज्ञान में लेते हुए सदन को आसन के माध्यम से संसूचित किया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव सहित सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेश दिया जा चुका है।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जानाः-

i- आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष-2020-21 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

ii- आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा झारखण्ड अन्तर्देशीय जलयान नियमावली-2020 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

iii- आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(1) के अधीन झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची का वर्ष-2017 एवं 2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जानाः-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, डॉ० सरफराज अहमद ने जिला परिषद् एवं पंचायती राज का 6ठा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

क्र० ह० ३०-

<u>7.वित्तीय कार्य</u>:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(08) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), मंत्रिमण्डल (निर्वाचन प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), पेंशन, योजना सह वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग (सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग), विधि विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग), विधान सभा, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) की माँगे सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन से अनुरोध किया कि माननीय गोड्डा सांसद की पत्नी पर किये गये मुकदमे को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अतएव केस करनेवाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाय। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी दीर्घा में वरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर भी आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे संज्ञान में लिया गया। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में थानों में केस के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय सदस्य, श्री ढुलू महतो ने धनबाद जेल से व्यवसायियों से माँगी जा रही रंगदारी की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।)

<u>8.वित्तीय कार्य(क्रमांक-7 से जारी)</u>:-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारंभ की। इसके बाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री बैद्यनाथ राम,
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
डॉ॰ इरफान अंसारी,

(इस अवसर पर सदन की सहमति से कार्यवाही पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)

श्री प्रदीप यादव,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री विनोद कुमार सिंह,

क्र० ह० ३०-

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री विकास कुमार मुण्डा ने नक्सलियों के सरेंडर पॉलिसी में सुधार तथा प्रभावी बनाने सम्बन्धी विषय पर आसन का ध्यानाकृष्ट किया।)

श्री अमित कुमार मण्डल एवं

श्री उमाशंकर अकेला।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(08) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा शेष माँगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से स्वीकृत हुई। माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत।

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी एवं आजसू के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

9.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2021

माननीय प्रभारी मंत्री (योजना सह वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात "झारखण्ड विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2021" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-22.03.2021 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 18 मार्च, 2021ई०।